(वाद सं0–2097/4/10/2021–PCD)

Suo-moto

01.09.2021

प्रसंगाधीन मामला, स्थानीय समाचार–पत्रों के दिनांक–20 मार्च, 2021 के संस्करण में प्रकाशित समाचार, जो दरभंगा जिलान्तर्गत Upgraded Secondary Govt. School Jale (West), में कक्षा एक की आठ वर्षीया छात्रा, चंचला कुमारी, की अपने कक्षा में प्रवेश करते समय, कक्षा गेट पर लगे बिजली के नंगे तार छुने से विद्युत स्पर्शाघात से हुयी मृत्यु तथा उसे बचाने के क्रम में छः अन्य सहपाठियों तथा विद्यालय की एक शिक्षिका के घायल हो जाने से संबंधित प्रकाशित इस आशय के समाचार पर राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा स्वप्रेरणा से संज्ञान में लेकर त्वरित करते हुए उक्त के संबंध में जिला पदाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा को विस्तृत प्रतिवेदन उपलब्ध कराने तथा आवश्यक कार्रवाई करने का दिये गये निर्देश के आलोक में वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा द्वारा राज्य आयोग को समर्पित प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि **मृतिका, चंचला कुमारी, के परिजन को अंचलधिकारी, जाले अंचल के द्वारा 4,00,000/–रुपया एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जाले प्रखण्ड के द्वारा 20,000/–रुपया, कुल 4,20,000/–रुपया के मुआवजा राशि का भुगतान कर दिया गया है।**

अब, जबकि राज्य आयोग के निर्देश के अनुपालन में मृतिका छात्रा, चंचला कुमारी, के परिजन को नियमानुसार मुआवजा राशि (कुल 4,20,000/–रुपया) का भुगतान किया जा चुका है तो अब राज्य आयोग के स्तर से उक्त के संबंध में अग्रेत्तर कार्रवाई किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। वैसे संबंधित पदाधिकारी दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध विधिनुसार कार्रवाई करने हेतु स्वतंत्र है।

वर्णित स्थिति में प्रसंगाधीन मामले को वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा के प्रतिवेदन के आलोक में राज्य आयोग के स्तर से इसे संचिकास्त किया जाता है।

कार्यालय, आज पारित आदेश से जिला पदाधिकारी, दरभंगा व वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा को उचित कार्रवाई हेतु अवगत कराते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा के प्रतिवेदन (पृ0–19–15/प0) की प्रति संलग्न कर मृतिका छात्रा, चंचला कुमारी, के परिजन को जिला पदाधिकारी, दरभंगा के माध्यम से तद्नुसार सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक